25 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर माननीय अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

दिल्ली की छठी विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है । सौ साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक भवन में आज के विधायकों से बात करने का मुझे अवसर मिला है । यहाँ 1912 से इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक हुआ करती थी । मैं माननीय अध्यक्ष, श्री राम निवास गोयल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित कर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मौका दिया ।

इस अवसर पर मैं आप सबको दिल्ली विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर बधाई देती हूँ। जनादेश जन सामान्य के विश्वास की अभिव्यक्ति है । आप विकास और प्रगति के लिए कार्य करके जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । अब दिल्ली अपनी समस्याओं और सरोकारों का समाधान करने के लिए आप सभी से आशा रखती है।

दिल्ली का महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान होने के कारण भारत के इतिहास के पन्नों में इसका स्थान सर्वोच्च रहा है। राजधानी होने के साथ-साथ दिल्ली एक सांस्कृतिक केंद्र भी रही है और देश में एकता में अनेकता के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसकी शासन व्यवस्था भी अनूठी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में इसकी अपनी विधान सभा है जिसके सदस्यों का निर्वाचन दिल्ली के लोग ही करते हैं। इसके अलावा यहाँ तीन प्रकार के नगर निकाय हैं अर्थात तीन दिल्ली नगर निगम (उत्तर, दक्षिण और पूर्वी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड । विधायकों के रूप में यह आवश्यक है कि आप सब लोगों की सेवा बेहतर और प्रभावी ढंग से करने के लिए शासन व्यवस्था से सुपरिचित हों ।

मेरे विचार से दूसरे देशों को हमारी खूबियों और कमियों का पता देश की राजधानी से चलता है । यह स्वाभाविक ही है कि विभिन्न क्षेत्रों और लोगों की ओर से इस बात की भारी मांग रही थी कि संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया जाए और एक उत्तरदायी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जाए । देश की राजधानी में विकास और प्रगति की पूर्वापेक्षा के रूप में स्थिरता और स्थायित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए संसद ने वर्ष 1991 में संविधान (उनहत्तरवां) संशोधन अधिनियम पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और इसके

लिए एक विधान सभा तथा इस विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई जिन्हें जन सामान्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गईं ।

अपने अद्वितीय दर्जे और शासन के लिए विभिन्न निकायों की आवश्यकता के कारण दिल्ली में शहरी योजना, आवास, बुनियादी सुविधाओं के विकास, कानून - व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक अवसरों, मानव प्रवास, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के संदर्भ में अनेक चुनौतियां हैं । निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका कर्त्तव्य है कि आप इन मुद्दों के समाधान और आम आदमी को पेश आने वाली सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए केन्द्र सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करें ।

माननीय सदस्यगण, आप सब इन जटिलताओं से परिचित हैं और मुझे विश्वास है कि आप उन सब लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं जिन्होंने देश के विभिन्न भागों से आकर दिल्ली को अपना घर बना लिया है ।

इस छठी विधान सभा में पहली बार चुने गए नए सदस्यों की संख्या 46 है एवं पांचवी विधान सभा के 22 विधायक फिर जीत कर आये हैं, महिला विधायकों की संख्या 6 है, चूँकि पांचवी तथा छठी विधान सभा के गठन का अन्तराल मात्र कुछ महीनों का ही था ज्यादातर विधायक नये ही हैं, केवल राम निवास जी ही ऐसे विधायक है जो कि पहली तथा छठी विधान सभा के सदस्य थे। ऐसे 6 विधायक जो कि लगातार पिछली पांच विधान सभाओं में सदस्य रहे हैं, उनका अनुभव यहाँ नही है आज। तदनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सब को जन प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए आपकी जानकारी में वृद्धि करना और आपके कौशल विकास का अवसर प्रदान करना है ।

माननीय सदस्यो, इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आपको विधायक की भूमिका, संसदीय लोकतंत्र के आदर्शों तथा हमारी संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी । अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति विधायी पद्धति और प्रक्रिया, लोकतंत्र में विधायिका की केन्द्रीय भूमिका, जन प्रतिनिधियों की भूमिका, शासन इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । इसके अलावा हमारे संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो ने दिल्ली विधान सभा के सदस्यों के उपयोग हेतु विधायी प्रक्रिया, बजट प्रक्रिया इत्यादि जैसी विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है ।

आज दिल्ली विधान सभा अपना अधिकारिक फेसबुक तथा टिवट्टर हैंडल शुरू कर रही है। आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानकारी प्रेषित करने के लिए सबसे तेज

माध्यम है। शायद यह भी अखबारों के छपने की शुरूआत, रेडियो की आवाज़, टीवी के चित्र और उसके बाद सोशल मीडिया सूचना क्रांति का नया आयाम है। लेकिन यह सबसे स्वतंत्र तथा तीव्र गति से फीडबैक प्रदान करने वाला माध्यम है।

ऐसे प्रबोधन कार्यक्रम के प्रयोजन के वृहत् संदर्भ में मैं इस बारे में केवल कुछ मुख्य बातें कहूंगी कि जन प्रतिनिधि के रूप में हमसे क्या अपेक्षा की जाती है ।

लोक सभा अध्यक्ष के रूप में मेरा यह सदैव प्रयास रहता है कि मैं भारत के लोकतंत्र की अच्छाइयों को उजागर करूँ । स्वतंत्रता प्राप्त होने पर हमारे संस्थापकों ने अपनी वचनबद्धता को एक मजबूत संविधान के रूप में वास्तविकता में परिणित किया जो सभी नागरिकों की समानता और नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उदार लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है । चूंकि, हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है इसलिए केन्द्रीय स्तर पर संसद और राज्यों में राज्य विधानमंडल अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

सर्वसम्मति बनाना यथार्थता का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है । लोकतंत्र की दृष्टि से यह और भी महत्वपूर्ण है । व्यक्तिगत रूप से विभिन्न मुद्दों पर मत भिन्नता और दोनों सभाओं के जबरन स्थगन के कारण संसद के हाल ही के मॉनसून सत्र में दोनों सभाओं के अधिकांश समय को बर्बाद होता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है । हम सब को याद रखना चाहिए कि विपक्ष केवल विरोध जताने के लिए ही नहीं होता बल्कि सरकारों को वैकल्पिक प्रस्ताव देने के लिए भी होता है । सभा के समय का उपयोग महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा और वाद-विवाद के लिए किया जाना चाहिए । लोगों की सेवा के लिए लोकतांत्रिक शासन में यह अपेक्षा की गई है कि सरकार और विपक्ष टकराव की राजनीति करने की बजाय सर्वसम्मति बनाने के लिए परस्पर चर्चा करेंगे । इस संदर्भ में मैं ऋग्वेद के कुछ श्लोक उद्धृत करना चाहती हूं जिनमें सर्वसम्मति बनाने की बात कही गई हैंः-

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चितमेषाम् ।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि । (10.191.03)

झ्हमारा संकल्प एक हो,

हम निर्णय सर्वसम्मति से लें,

हमारी आशाओं-आकांक्षाओं में समानता हो,

हमारी चेतना सद्भाव से भरी हो,

हमारी प्रार्थना सबके कल्याण के लिए हो,

हमारी आहुति सबके कल्याण के लिए हो । (ऋग्वेद, X , 191-3, 4)

मैं इस बात पर बल देना चाहती हूं कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का स्थान विशेषाधिकार पूर्ण होता है और उसे लोगों की सेवा करने कागौरव प्राप्त होता है जिसके साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जुड़ी होती है। संसदीय लोकतंत्र में एक निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका के दो पहलू होते हैं - एक ओर वह अपने निर्वाचकों तथा जिस विधायिका का वह सदस्य है उनके बीच तथा दूसरी ओर लोगों और सरकार के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है । यह हमारी भूमिकाओं का एक संस्थागत पहलू है । इसके अतिरिक्त ऐसे नेताओं के रूप में, जिनकी ओर जनता आशाभरी दृष्टि से देखती है, हम सभी यह जानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि की सभा में एक विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता और समाज में एक सार्वजनिक नेता के रूप में अनेक भूमिकाएं होती हैं ।

आज हमारे समाज के सामाजिक- आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तन के संदर्भ में हमारे और सभा के समक्ष प्रायः अनेक चुनौतियां प्रस्तुत हो जाती हैं । प्रातिनिधिक संस्थाओं और उनके सदस्यों से इन सभी चुनौतियों की बारीकियों का विश्लेषण करने और समाज के समक्ष आने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने की आशा की जाती है । ये समाधान उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के मानदंडों के अंतर्गत ही प्रस्तुत किए जाने हैं जो आवश्यक विधान तैयार करते हैं और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। विभिन्न अवसरों पर और कभी-कभी हम से किसी राजनैतिक पार्टी के एक सदस्य के रूप में और एक विधायक के रूप में परस्पर अनन्य रूप से अपनी भूमिकाएं निभाने की आशाएं की जाती हैं । प्रश्नों और मुद्दों के संबंध में हमारा निर्णय समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों के विकास के व्यापक दृष्टिकोण से प्रेरित होना चाहिए क्योंकि उनके विकास में ही समाज की प्रगति निहित है । यहां मैं गांधी जी के शब्दों को उद्धृत करती हूं: "सभी की समान बेहतरी के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों के संपूर्ण शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को गतिशील बनाने की कला और विज्ञान ही लोकतंत्र का सार है ।"

विधायकों का कार्य मुख्यतः शासन करना नहीं अपितु कानून बनाना, बजट की समीक्षा करना और कार्यपालिका के कार्यों और उसकी निष्क्रियता के लिए कार्यपालिका की निगरानी करना है । जन प्रतिनिधियों के रूप में हमारा प्राथमिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की नीतियां लोगों की वास्तविक मांगों और आकांक्षाओं को पूरा करें । लोगों की आकांक्षाओं को मुखर करना ही उन्हें शक्ति प्रदान करना है क्योंकि हम जानते हैं कि हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है । एक समर्थ विधायक लोगों के सामने

आने वाले मुद्दों और समस्याओं के संबंध में आवाज उठाने और उनकी समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए सभा में प्रत्येक अवसर का उपयोग करेगा ।

एक विधायक के रूप में हम यह देखते हें कि कभी-कभी स्थानीय हितों का व्यापक राष्ट्रीय अथवा सामाजिक हितों के साथ टकराव होता है । ऐसे में हमसे इनमें एक संतुलन बनाने की आशा की जाती है । कोई विधायक जो स्वयं को राष्ट्र और समाज से जुड़े सरोकारों के साथ को सक्रिय रूप से जोड़े रखता है वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए और स्थानीय या दल से जुड़ी विचार धाराओं से ऊपर उठकर एक विधायक के रूप में अधिक प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभाने के लिए बेहतर स्थिति में होता है । हम सबको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कानूनों का निर्माण अस्थाई हितों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के विकास के लिए एक स्थायी संरचना प्रदान करने के लिए किया जाता है । एक कर्त्तव्यनिष्ठ विधायक अपने मतदाताओं को इस बारे में जागरूक करने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करेगा कि व्यापक सामाजिक लक्ष्य के साथ किसी भी सीमा तक टकराने वाले संकीर्ण और स्थानीय हितों पर पुनर्विचार और उन्हें फिर से तैयार किया जाना चाहिए ।

जैसा कि आप जानते हैं, संसदीय लोकतंत्र की सफलता स्वस्थ और सुव्यवस्थित चर्चा में निहित है । इसके लिए नियमों, परंपराओं, प्रक्रियात्मक साधनों आदि की एक विस्तृत व्यवस्था विकसित हुई है अथवा सृजित की गई है । इसके लिए शिष्टाचार का पालन और अध्यक्षपीठ तथा साथी विधायकों के प्रति सम्मान का भाव दर्शाना आवश्यक है । अध्यक्षपीठ सभा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की संरक्षक होती है । हमारा समग्र उद्देश्य चर्चा और वाद-विवाद तथा उसके बाद बनने वाले कानूनों के स्तर में सुधार करना और जनता की दृष्टि में विधायी संस्थाओं की छवि में सुधार करना होना चाहिए न कि इस संबंध में बिना वजह बाधाएं उत्पन्न करना होना चाहिए । मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि निवार्चित जन प्रतिनिधियों की सभायें, चाहे राज्यों की विधान सभायें हों या देश की लोक सभा या राज्य सभा, discuss, debate, disagree या decide करने के लिए होती है न कि disrupt करने के लिए । मैं दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी इसमें - discipline and decorum । एक और बात जो मैंने अपने लम्बे सामाजिक जीवन से सीखी है कि इतिहास अच्छे वक्ताओं को ही याद रखता है, उनकी बातों को दोहराता है, न कि शोर मचाने वालों का`।

इन सबके लिए, विभिन्न नियमों, सभा की पद्धतियों और प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, प्रश्नकाल और प्रस्तावों आदि सहित विभिन्न उपायों की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है । एक अन्य बात जिस पर मैं फिर से बल देते हुए यह सुझाव देती हूं कि सदस्य व्यापक मुद्दों के बारे में जानकारी रखे परंतु अपनी रूचि के कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करें । यह जानकारी उनके द्वारा सभा में की जाने वाली पहलों और चर्चाओं तथा वाद-विवाद और विशेष रूप से समितियों के कार्यों में उनके योगदान में परिलक्षित होंगी । इससे यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कोई विधायक अपनी भूमिका के प्रति न्याय करने में कितना समय लगाता है और कितना प्रयास करता है ।

नियमों की जानकारी के साथ-साथ सदस्यों को उन मुद्दों की भी जानकारी होनी चाहिए जो सभा में उठाए जाते हैं जैसे कानून बनाने और समिति द्वारा जांच किए जाने वाले मुद्दे । एक बार निर्वाचित होने पर, असली कार्य शुरू हो जाता है अर्थात् सीखने की अनवरत प्रक्रिया । इस संबंध में, अध्ययन और विषय-विशेषज्ञों से चर्चा में समय बिताना महत्वपूर्ण होता है ।

इस पहलू को ध्यान में रखकर मैंने लोक सभा में सदस्यों की सहायता के लिए और उन्हें विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों के विचारों से अवगत कराने के लिए एक तंत्र शुरू किया है । अध्यक्ष के शोध कदम की हाल ही में शुरूआत की गई है जिसे सदस्यों ने विशेष रूप से पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सार्थक बनाया है । ऐसे कदम और प्रयास मुद्दों से निपटने में उन सदस्यों के क्षमता निर्माण में सहायक हो सकते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है ।

मुझे विश्वास है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में आपको विधायी कार्यकरण की बारीकियों और हमारे विधायी निकायों में प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जानकारी मिलेगी । मैं आशा करती हूं कि यह प्रबोधन कार्यक्रम आप सबके लिए उपयोगी और लाभकारी होगा ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबको दिल्ली विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर पुनः बधाई देती हूं और अपनी शुभकामनाएं देती हूं ।

धन्यवाद ।